

## नजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण

### प्रलिस के लिये:

[अनुच्छेद 16\(4\)](#), [अनुच्छेद 16\(2\)](#), [अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#), [अनुच्छेद 19\(1\)\(d\)](#) एवं [\(e\)](#), [संवैधानिक नैतिकता](#), आरक्षण नीति

### मेन्स के लिये:

नविस के आधार पर आरक्षण: वैधता, पक्ष और वपिक्ष में तर्क, आगे की राह

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने उद्योग जगत की आलोचना के बाद नजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण अनिवार्य करने वाले **उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के कर्नाटक राज्य रोजगार अधिनियम, 2024** पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- सरकार ने अब राज्य विधानसभा में अधिनियम को पुनः प्रस्तुत करने से पहले इसकी व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

## हरियाणा में 10% अग्नवीर कोटा

- हाल ही में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई **अग्नपिथ योजना** के तहत भर्ती होने वाले अग्नवीरों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। इसमें नमिनलखिति प्रावधान किये गए हैं-
  - कांस्टेबल, माइनरि गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ भर्तियों में 10% आरक्षण।
  - ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों के लिये आयु में छूट।
  - ग्रुप-सी में 5% और ग्रुप-बी की सीधी भर्तियों में 1% आरक्षण।
  - अग्नवीरों को काम पर रखने वाली नजी फर्मों के लिये सब्सिडी।
  - बजिनेस स्टार्टअप के लिये ऋण ब्याज लाभ।
  - अग्नवीरों के लिये शस्त्र लाइसेंस और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता।

## कर्नाटक का नजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण अधिनियम क्या है?

- आरक्षण नीति:** अधिनियम कर्नाटक में नजी क्षेत्र की कंपनियों, उद्योगों और उद्यमों के भीतर गैर-प्रबंधन पदों में **'स्थानीय उम्मीदवारों'** के लिये 75% तथा प्रबंधन पदों पर 50% का पर्याप्त आरक्षण अनिवार्य करता है।
- 'स्थानीय उम्मीदवार'** की परिभाषा: यह **"स्थानीय उम्मीदवारों"** को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जो राज्य में पैदा हुए हैं या कम-से-कम 15 वर्षों से कर्नाटक में रह रहे हैं एवं कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं।
- कार्य वर्गीकरण:** यह कार्यों को प्रबंधन और गैर-प्रबंधन भूमिकाओं में वर्गीकृत करता है।
  - प्रबंधन भूमिकाओं में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, तकनीकी, संचालनात्मक और प्रशासनिक पद शामिल होंगे।
  - गैर-प्रबंधन भूमिकाओं में **आईटी-आईटीईएस सेक्टर** में लपिकि, अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल पद शामिल होंगे।
- कौशल विकास प्रावधान:** उद्योगों को स्थानीय उम्मीदवारों के लिये कौशल अंतर को दूर करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता होती है, योग्य स्थानीय उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में कार्यान्वयन के लिये 3 वर्ष की समय-सीमा होती है।
- लचीले प्रावधान:** यह विशिष्ट परिस्थितियों में गैर-प्रबंधन पदों पर आरक्षण कोटा में कमी करके 50% तथा प्रबंधन पदों पर 25% करने का प्रावधान करता है।

नोट:

- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखंड सहित कई राज्यों ने भी नौकरी में आरक्षण के लिये मूल नविसयियों से संबंधित वधियक या वनियमन की घोषणा की है।
- आंध्र प्रदेश वधिनसभा में वर्ष 2019 में पारति जॉब कोटा बलि में स्थानीय लोगों के लयि तीन-चौथाई नजिी नौकरयिों भी आरकषति की गई।

## नविस-आधारति आरकषण से संबंधति वधिकि चुनौतयिों क्य़ा हैं?

- समानता एवं सकारात्मक कार्रवाई में संतुलन: नविस-आधारति आरकषण भारत के संवधिन के अंतगत एक वधिकि चुनौती प्रसुतुत करता है।
  - अनुचछेद 14 कानून के समकष समानता की गारंटी देता है, जबकि अनुचछेद 15 (धरुम, मूलवंश, जाति, लयि या जनुम स्थान के आधार पर भेदभाव का नषिध) तथा अनुचछेद 16 (सार्वजनकि रोज़गार में अवसर की समानता) गैर-नविसी उम्मीदवारों के प्रतति प्रवाग्रह के बनिा पछिड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने के लयि वशिष प्रावधान की अनुमतति प्रदान करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के नरिणय:
  - डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यिदयपि स्थानीय उम्मीदवारों को कुछ वरीयता दी जा सकती है, लेकनि यह पूरणतः नही होनी चाहयि और गैर-स्थानीय उम्मीदवारों को पूरी तरह से इससे वंचति नही कयिा जाना चाहयि।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से बी.एड सीटों में 75% अधविस कोटा की समीक्षा करने को कहा।
  - नवंबर 2023 में पंजाब और हरयिणा उच्च न्यायालय ने नजिी कषेत्र में स्थानीय लोगों के लयि 75% आरकषण अनविर्य करने वाले हरयिणा के कानून को असंवैधानकि माना।
  - न्यायालय ने नागरिकों के बीच कृत्रुमि वभिजन पैदा करने और अहसतकषेप सदिधांतों को बाधति करने के लयि कानून की आलोचना की। इसके बाद, हरयिणा सरकार ने इस नरिणय के वरुिद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
- कोटे की सीमा: इंदरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि कुल आरकषण, जसिमें स्थानीय आरकषण भी शामिल है, उपलब्ध सीटों या पदों के 50% से अधिकि नही होना चाहयि। यह सीमा आरकषण की सभी श्रेणयिों पर लागू होती है, जैसा कि मुख्य रूप से अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) के लयि आरकषण को संबोधति करने वाले फैसले पर ज़ोर दयिा गया है।

## नजिी कषेत्र आरकषण वधियक के पकष में तरक क्य़ा हैं?

- स्थानीय रोज़गार सृजन: इस नीतिका उद्देश्य स्थानीय नविसयिों के लयि रोज़गार के अवसर बढ़ाना, बेरोज़गारी को कम करना तथा यह सुनशिचति करना है कि आरथकि लाभ राज्य के भीतर ही बरकरार रहें।
- आरथकि समता एवं संतुलति कषेत्रीय वकिस: इस नीतिका उद्देश्य राज्य के भीतर संसाधन वतिरण में असमानताओं को दूर करके आरथकि समानता को बढ़ावा देना है।
  - इसके अतरिकित यह आरथकि अवसरों को केवल कुछ शहरी केंद्रों तक ही सीमति रखने के बजाय वभिन्नि कषेत्रों में फैलाकर संतुलति कषेत्रीय वकिस का समरथन करता है।
- कौशल वकिस: अनविर्य प्रशकिषण कार्यक्रम स्थानीय कार्यबल के कौशल को बढ़ा सकते हैं, जसिसे वे अधिक प्रततिप्रदधी बन सकते हैं तथा उद्योग की मांगों को पूरा करने के लयि बेहतर ढंग से सकषम हो सकते हैं।
- सामाजकि स्थरिता: स्थानीय लोगों को अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करने से उनमें अपनत्व की भावना को बढ़ावा मलिगा, सामाजकि तनाव कम होगा तथा सामुदायकि सद्भाव को बढ़ावा मलिगा।
- प्रततिभि प्रततिधारण: यह नीति राज्य के भीतर कुशल वयक्तयिों संलग्न रखने, प्रततिभि पलायन को रोकने और उनकी वशिषजता को स्थानीय अरथव्यवस्था में योगदान सुनशिचति करने में मदद कर सकती है।
- सांस्कृतकि संरकषण: भाषा दकषता की आवश्यकता स्थानीय भाषा और सांस्कृतिको संरकषति तथा बढ़ावा देने में मदद करती है, जसिसे एक मज़बूत सांस्कृतकि पहचान को बढ़ावा मलिता है।

## नजिी कषेत्र आरकषण वधियक के वरुिद्ध तरक क्य़ा हैं?

- व्यावसायकि प्रततिप्रदधा पर प्रभाव: यह नीतिकंपनयिों की सर्वोत्तम प्रततिभिओं को नयिकुत करने की कषमता को सीमति कर सकती है, जसिसे उनकी कार्यकुशलता और प्रततिप्रदधात्मकता पर प्रततिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- कौशल की कमी: स्थानीय कार्यबल में वशिषिट भूमकिओं के लयि आवश्यक कौशल का अभाव हो सकता है, जसिके परिणामस्वरूप परचालन अकषमताएँ और प्रशकिषण लागत में वृद्धा हो सकती है।
- नविश नरिधक: स्थानीय स्तर पर नयिकुतसंबंधी प्रततिबंध घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नविशकों को हतोत्साहति कर सकते हैं, जसिसे राज्य के आरथकि वकिस तथा रोज़गार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- वधिकि एवं प्रशासनकि बोझ: नीतिका अनुपालन सुनशिचति करने के क्रुम में कंपनयिों को अतरिकित वधिकि एवं प्रशासनकि लागत का सामना करना पड़ सकता है।
- भेदभाव संबंधी चतिाएँ: इस नीतिकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें गैर-स्थानीय उम्मीदवारों के प्रततिभेदभाव कयिा गया है तथा यह समान अवसर के सदिधांत का उल्लंघन करती है।
- आरथकि प्रभाव: अधविस-आधारति आरकषण व्यवसायों को रोककर और नौकरी के अवसरों को सीमति करके राज्य की आरथकि वृद्धि पर प्रततिकूल प्रभाव डाल सकता है।

- इसके अलावा, जनि क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आंतरिक प्रवास हो रहा है, वहाँ ऐसी नीतियाँ **राष्ट्रीय एकीकरण और आर्थिक गतिशीलता** में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- **सामाजिक तनाव:** यह नीति स्थानीय और गैर-स्थानीय निवासियों के बीच सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है, विभाजनकारी माहौल पैदा कर सकती है तथा सामाजिक एकता को कमजोर कर सकती है।

## आगे की राह

- आरक्षण नीतिको इस तरह से लागू किया जा सकता है कि देश में जनशक्तसंसाधनों की मुक्त आवाजाही में बाधा न आए।
- राज्य में अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीतिकी समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लिया गया कोई भी नीतिगत निर्णय भारत के संविधान के अनुपालन में हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।

### दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में नज्जी रोज़गार में राज्य द्वारा लगाए गए अधवास आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आकलन कीजिये।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न.** क्या राष्ट्रीय अनुसूचति जातिआयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचति जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रयान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reservation-for-locals-in-private-sector>

